

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

दयाराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मन्नीवाली, पंस. सादुलशहर
निगरानी पंचायत प्रकरण सं. 52/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
05.11.14	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील निगरानीकर्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 07-11-14 को पेश हो।	
7.11.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, गंगानगर है। पत्रावली दिनांक 10.11.14 को पेश हो।	
10-11-14.	निगरानीकर्ता के Adv-उपरो पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन पत्र पेश हुई। वकील निगरानीकर्ता का मुख्य रूप से कहसकें कि 8वीं वकील 5 विस्वा कृषि मूमि पर 1959 में खरीद की हुई है तथा कि जे. 25 की 5 विस्वा कृषि पर ढाणी बनाई हुई है। अतः प्रथम इतर या संसदा उसके पक्ष में डी अर्थात् प्रथम पक्ष द्वारा जारी जोरिस दि० 23.9.14 की डिपॉजिट को स्थगित किया जावे। कहसकें पर सन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जोरिस दि० 23.9.14 में वापस किया है कि कृषि मूमि के पश्चात 30 फिटिनी पर पक्का निरमाण कर डेवेंस अतिक्रमण किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में एकपक्षीय	

23/10/23

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी 04/10/23
है। पत्रावली दिनांक 06/12/23 को पेश हो।

06/12/23

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी 06/12/23
है। पत्रावली दिनांक 06/12/23 को पेश हो।

06/2/24

पीठासीन अधिकारी अचकित भ्रमण पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 27/3/24 को पेश हो।

27/3/24

पीठासीन अधिकारी अचकित भ्रमण पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 29/5/24 को पेश हो।

29/5/24

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी 03/11/24
है। पत्रावली दिनांक 03/7/24 को पेश हो।

03/7/24

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी 03/11/24
है। पत्रावली दिनांक 5/8/24 को पेश हो।

5/8/2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता स्वयं को पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक कर बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।
आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)